कार्यालय जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

Email – ceo.zp.sukma@gmail.com,

सूचना

क्रमांक / 4427 / NRLM / जि.पं. / 2017–18 सुकमा, दिनांक 17/10/2017

छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके जहां पर स्वास्थ्य सेवा का पहुँचना बेहद ही कठिन है, उस तरह के पी.एच.सी. में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने हेतु प्रसव पूर्व संदर्भ सेवा केन्द्र की स्थापना एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु रूचि रखने वाले संस्थाओं/फर्मों (शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं) से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा, जिला – सुकमा (छ.ग.) के पते पर दिनांक 7/11/17........... तक प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक संस्था/फर्म जिला सुकमा की अधिकारिक वेबसाईड www.sukma.gov.in पर उक्त "**रूचि की अभिव्यक्ति**" पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जानकारी देख सकते हैं।

संलग्न :– प्रेस विज्ञप्ति।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

01. **कलेक्टर,** जिला – सुकमा (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
02. **सहायक संचालक,** जनसंपर्क विभाग सुकमा जिला कार्यालय सुकमा को सूचनार्थ कर लेख है कि इसे जिले के एवं राज्य स्तर पर किसी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगें।
03. **एन.आई.सी. प्रभारी सुकमा,** जिला कार्यालय सुकमा को सूचनार्थ कर लेख है कि इसे जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

Email – ceo.zp.sukma@gmail.com,

"रूचि की अभिव्यक्ति"

सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके जहां पर स्वास्थ्य सेवा का पहुँचना बेहद ही कठिन है, उस तरह के पी.एच.सी. में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने हेतु प्रसव पूर्व संदर्भ सेवा केन्द्र की स्थापना एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने का कार्य किया जाना है।

उपरोक्त कार्य हेतु रूचि रखने वाले संस्थाओं/फर्मों (शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं) से प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

NGO/संस्था हेतु न्यूनतम अर्हता एवं शर्तें :–

01. प्रत्येक माह कम से कम 15 से 20 गर्भवती महिलाओं को सेवा दिया जाने का प्रावधान रहेगा।
02. हितग्राही एवं परिजनों के गुणवत्ता पूर्ण भोजन व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी उक्त फर्म/संस्था की होगी।
03. प्रसव पूर्व सेवा केन्द्र के हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से संस्थागत प्रसव कराने की जिम्मेदारी उक्त फर्म/संस्था होगी।
04. प्रसव पूर्व संदर्भ सेवा केन्द्र से अस्पताल तक भेजे जाने की व्यवस्था उक्त फर्म/संस्था द्वारा ही की जावेगी।
05. कार्य अनुबंध 01 वर्ष का होगा एवं कार्य संतोषप्रद प्रतीत होने पर ही आगामी अवधि हेतु अनुबंध को बढ़ाया जा सकेगा।
06. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंधित फर्म/संस्था को 01 माह पूर्व सूचना देते हुए अनुबंध निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
07. इस कार्य हेतु अनुभवी संस्थाओं/फर्मों (शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं) को प्राथमिकता दी जावेगी।
08. इच्छुक फर्म/संस्था उक्त कार्य के लिये मोटर बाईक एम्बुलेंस की व्यवस्था स्वयं ही करेंगें।
09. बस्तर संभाग के जिलों में कार्य करने वाले फर्मों को अनुभव अवधि के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा न्यूनतम प्रस्ताव स्वीकृति करने के लिये बाध्य नही है। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए निरस्त अथवा समाप्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा को होगा एवं ऐसे आदेश के विरूद्ध कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा द्वारा समय अनुरूप नियम एवं शर्तों में बदलाव किया जा सकता है जो कि सर्वमान्य होगा।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

उक्त कार्य हेतु आवेदन दिनांक 7/11/17 तक संध्या 05:00 बजे तक कार्यालय जिला पंचायत सुकमा में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा सीधे हस्तांतरण कर प्राप्त होना चाहिए। प्रस्ताव अगले दिवस दिनांक 8/11/17 को संध्या 03:00 बजे समिति के समक्ष खोला जावेगा।

Ghaluur 17/10/17
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

कार्यालय जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)

Email – ceo.zp.sukma@gmail.com.

रूचि की अभिव्यक्ति

सुकमा जिले के अंदरूनी इलाके जहां पर स्वास्थ्य सेवा का पहुँचना बेहद ही कठिन है, उस तरह के पी.एच.सी. में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने हेतु प्रसव पूर्व संदर्भ सेवा केन्द्र की स्थापना एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु रूचि रखने वाले संस्थाओं/फर्मों (शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं) से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुकमा, जिला – सुकमा (छ.ग.) के पते पर दिनांक ......7/11/17.... तक प्रस्ताव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक संस्था/फर्म जिला सुकमा की अधिकारिक वेबसाईड www.sukma.gov.in पर उक्त **"रूचि की अभिव्यक्ति"** पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जानकारी देख सकते हैं।

संलग्न :– प्रेस विज्ञप्ति।

17/10/17
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सुकमा (छ.ग.)